भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1728
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायिक अवसंरचना के विकास की योजना

1728. श्री एस. रामलिंगम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और पहल की है/ कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के प्रस्ताव पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत पूरी की गई/चल रही परियोजनाओं का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत दिए गए अनुदानों का तमिलनाडु सहित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने उच्चतर न्यायपालिका और निचली न्यायपालिका दोनों में लंबित मामलों को कम करने के लिए नई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार से जुडा है । संघ सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच विहित किए गए निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने द्वारा न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की है । यह स्कीम 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए न्यायलय भवनों और आवास स्थानों का निर्माण शामिल हैं । अब तक इसके प्रारंभ से स्कीम के अधीन 9445.46 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें से 6001.15 करोड़ रुपए (63.53 प्रतिशत) 2014-15 में जारी किए गए है । यह स्कीम 5307.00 करोड़ की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 9000 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित की गई है । न्यायालय हॉलों और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के अतिरिक्त अब इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हॉल, डिजीटल कम्प्यूटर कक्ष और प्रसाधन परिसरों का निर्माण भी शामिल है । देश में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए 21,159 न्यायालय

हॉल और 18,557 आवासीय स्थान उपलब्ध कराए गए हैं । इसके अतिरिक्त, 2,673 न्यायालय हॉल और 1,662 आवासी ईकाइयां विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन हैं ।

(ख) और (ग) : तारीख 30.04.2022 को मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय निकाय की स्थापना पर संकल्प नहीं लिया गया था और इसकी बजाय राज्य स्तर पर न्यायिक अवसंरचना समिति के प्ररूप पर सहमत हुए थे जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति के अपने नामनिर्देशिती होंगे और जो निकट समन्वय से कार्य करेंगे ।

(ग) : उच्च न्यायालयों/राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्ण हुए न्यायालय हॉलों और आवासीय ईकाइयों की संख्या के राज्य वार ब्यौरे **उपाबंध-1** पर हैं । तारीख 30.11.2022 तक न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायालय हॉलों और आवासीय ईकाइयों की चालू परियोजनाओं की संख्या के राज्य वार विवरण **उपाबंध-2** पर दिए गए हैं ।

(घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई निधियों के राज्य वार विवरण **उपाबंध-3** पर हैं ।

(ङ) : न्यायालय में लंबित मामलों का निपटान करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के भीतर है । संबंधित न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा विहित नहीं की गई है । न्यायालयों में मामलों के निपटान में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता, सहयोगी न्यायालय कर्मचारिवृन्द और भौतिक अवसंरचना, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने, उनकी पहचान करने और एकत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव, अंतर्वलित तथ्यों की जटीलता, साक्ष्य की प्रवृत्ति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ, अन्वेषण, अभिकरणों, साक्षियों और मुकदमे लढने वाले व्यक्तियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित लागू होना, भी है । ऐसे अनेक कारक है जिनका परिणाम मामलों के निपटान में विलंब होता है । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने, उनकी पहचान करने और एकत्रित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है । केन्द्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटान के प्रति और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है ।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में की गई थी जिसमें प्रणाली में विलंबों और बकाया मामलों की संख्या को कम करके तथा संरचनात्मक परिर्वनों के माध्यम से जवाबदेही को बढ़ाकर तथा निष्पादन मानकों और क्षमताओं को तय करके पहुंच को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्य हैं । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या के चरणबद्ध परिसमापन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कम्प्यूटरीकण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्याधीक मुकदमा संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया की पुन:इंजीनियरी तथा मानव संसाधन विकास पर बल सहित न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य कदम उठाए गए हैं जो निम्नप्रकार हैं:

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9291.79 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.11.2022 तक बढ़कर 21,159 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,557 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,673 न्यायालय हाल और 1,662 आवासी इकाईयां (न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा। अब तक 21159 न्यायालय हॉल और 18,557 आवासीय ईकाइयां स्कीम के अधीन उपलब्ध कराई गई और 2673 न्यायालय हॉल और 1662 आवासीय ईकाइयां जारी परियोजनाओं के रुप में निर्माणाधीन हैं।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 01.12.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 21.74 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और 19.80 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच बना सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे वादकारीयों और अधिवक्ताओं के लिए सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय मोबाइल एप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एण्ड पुल सर्विस में ई न्यायालय पोर्टल ,न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेएससी) के माध्यम से ई-न्यायालय सेवाऐं, जैसे मामला रजिस्टर करने, मामला सूची, मामले की प्रास्थिति, दैनिक आदेशों और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे उपलब्ध हैं । वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है ।कोविड- 19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 619 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और राजस्थान में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए 21 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,65,20,791 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 31.10.2022 तक 75,80,347 मामलों (कुल 2.41 करोड़) की सुनवाई की। 31.09.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 97,435 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 05.12.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 853 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 621 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
06.12.2022	24,994	19205

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय बकाया समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान

को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) **<u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u>** चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंधं करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.10.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 838 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस स्कीम में जोडा गया है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं तथा अक्टूबर, 2022 तक वित्तीय वर्ष के दौरान 53.55 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । 731 एफटीएससी वर्तमान में 412 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 31.10.2022 तक 1,24,000 मामलों का निपटारा किया गया।

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबितता कम करने और न्यायालयों को मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियां जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 को संशोधित किया है ।

(viii) लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण अनुकल्पि विवाद समाधान तंत्र है । यह ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमा पूर्व प्रक्रम्य पर लंबित विवाद/मामलें निपटाए जाते हैं/उन पर आपस में समझौता किया जाता हैं । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा किया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में समझा जाता है और सभी पक्षकारों पर अंतिम और आबद्धकर होता है तथा किसी न्यायालय के समक्ष उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है । न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए और मुकदमापूर्व प्रक्रम्य पर विवादों को निपटाने के लिए भी, विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो वह ठीक समझे, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । तथापि, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अनुसार, लोक अदालतें आवश्यकतानुसार विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती हैं । राष्ट्रीय लोक अदालतें पूर्व नियत तारीख को सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जाती हैं ।

पिछले दो वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निपटाए गए मामलों के ब्यौरे निम्नप्रकार हैं:

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	कुल संख्या
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
कुल	3,82,21,509	1,64,92,538	5,47,14,047

(ix) सरकार ने वर्ष 2017 में टेली-विधि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें विधिक सलाह प्राप्त करने वाले जरूरतमंद और अलाभान्वित वर्गों को जोड़ने वाले प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफार्म तथा विडियों कान्फ्रेसिंग तथा टेलिफोन के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ परामर्श करने और ग्रामपंचायत में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर और टेली-विधि मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध चैट सुविधाओं का उपबंध किया गया हैं ।

प्रवर्ग	जारी की गई कुल सलाह	%
अनुसूचित जाति	8,62,464	31.51%
अनुसूचित जनजाति	4,90,729	17.93%
अन्य पिछडा वर्ग	7,94,986	29.04%
महिला	9,19,389	33.59%
सामान्य	5,88,932	21.52%
30 नवंबर, 2022 तक		

(x) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं ।

अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

******

उपाबंध-1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1728 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2022 को जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र. सं	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	पूर्ण किए गए न्यायालय हॉल			कुल	पूर्ण की गई आवासीय ईकाइयां			कुल
		2019-20	2020-21	2021-22		2019-20	2020-21	2021-22	
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	2	0	0	2	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3	0	3	6	0	2	2	4
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	18	0	0	18	11	0	0	11
5	बिहार	51	24	31	106	24	12	36	72
6	चंडिगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	0	18	8	26	8	2	22	32
8	दादर और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	54	24	0	78	0	0	0	0
11	गोवा	28	0	0	28	0	0	0	0
12	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
13	हरियाणा	0	8	14	22	0	0	4	4
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	3	3	0	0	0	0
15	जम्मू और कश्मीर	5	1	0	6	5	1	0	6
16	झारखंड	39	0	0	39	0	0	0	0
17	कर्नाटक	154	65	87	306	82	21	9	112
18	केरल	0	15	0	15	0	0	0	0
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	32	34	22	88	73	104	20	197
22	महाराष्ट्र	182	0	0	182	24	0	1	25
23	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	0	0	0	0	2	0	0	2
26	नागालैंड	0	0	0	0	1	0	0	1
27	ओडिशा	53	35	51	139	24	14	25	63
28	पुडुचेरी	0	7	0	7	0	6	0	6
29	पंजाब	34	7	0	41	**0**	9	0	9
30	राजस्थान	70	43	15	128	28	7	18	53
31	सिक्किम	1	0	0	1	0	0	0	0
32	तमिलनाडु	42	50	8	100	24	10	6	40
33	तेलंगाना	10	12	12	34	1	0	0	1
34	त्रिपुरा	0	0	10	10	0	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	55	0	150	205	21	0	75	96
36	उत्तराखंड	0	0	6	6	0	0	7	7
37	पश्चिमी बंगाल	8	0	0	8	17	0	0	17
कुल		**841**	**343**	**420**	**1604**	**345**	**188**	**225**	**758**

उपाबंध-2

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1728 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2022 को जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

क्र. संख्या	राज्य	निर्माणाधीन न्यायालय हॉल	निर्मानाधीन आवासीय ईकाइयां
1	आंध्र प्रदेश	99	16
2	अरुणाचल प्रदेश	2	3
3	असम	99	6
4	बिहार	86	82
5	चंडिगढ़	1	0
6	छत्तीसगढ़	21	434
7	दादर और नागर हवेली	0	0
8	दमण और दीव	3	0
9	दिल्ली	50	70
10	गोवा	28	0
11	गुजरात	140	29
12	हरियाणा	75	65
13	हिमाचल प्रदेश	14	1
14	जम्मू और कश्मीर	46	8
15	झारखंड	0	0
16	कर्नाटक	144	84
17	केरल	62	18
18	मध्य प्रदेश	409	147
19	महाराष्ट्र	498	73
20	मणिपुर	8	0
21	मेघालय	30	97
22	मिजोरम	26	6
23	नागालैंड	12	2
24	ओडिशा	53	56
25	पुडुचेरी	0	0
26	पंजाब	72	36
27	राजस्थान	192	131
28	सिक्किम	0	0
29	तमिलनाडु	0	0
30	तेलंगाना	45	6
31	त्रिपुरा	8	6
32	उत्तर प्रदेश	289	251
33	उत्तराखंड	70	3
34	पश्चिमी बंगाल	91	32
कुल		**2673**	**1662**

उपाबंध-3

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1728 जिसका उत्तर तारीख 16.12.2022 को जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(करोड़ में रु.)

क्र सं.	राज्य	2017-18 में जारी	2018-19 में जारी	2019-20 में जारी	2020-21 में जारी	2021-22 में जारी	कुल
1	आंध्र प्रदेश	0.00	10.00	20.00	10.28	0.00	40.28
2	बिहार	42.90	62.04	87.62	65.72	0.00	258.28
3	छत्तीसगढ़	0.00	19.68	19.83	7.84	0.00	47.35
4	गोवा	0.00	3.15	4.06	3.80	3.20	14.21
5	गुजरात	50.00	15.02	16.49	13.50	0.00	95.01
6	हरियाणा	15.00	11.91	14.06	22.00	0.00	62.97
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	4.08	5.72	5.50	0.00	15.30
8	जम्मू और कश्मीर	10.00	19.01	10.00	[redacted]	[redacted]	39.01
9	झारखंड	50.00	9.59	13.74	9.05	6.00	88.38
10	कर्नाटक	50.00	38.12	44.04	29.72	27.00	188.88
11	केरल	25.00	30.82	15.82	13.00	50.00	134.64
12	मध्य प्रदेश	50.00	79.42	66.90	45.60	55.00	296.92
13	महाराष्ट्र	50.00	10.58	61.09	23.11	18.00	162.78
14	ओडिशा	0.00	22.50	35.69	0.00	0.00	58.19
15	पंजाब	50.00	26.47	39.78	16.48	16.50	149.23
16	राजस्थान	17.34	17.41	64.21	29.90	41.50	170.36
17	तमिलनाडु	0.00	6.09	38.71	18.17	35.66	98.63
18	तेलंगाना	0.00	10.00	5.65	16.00	0.00	31.65
19	उत्तराखंड	25.00	22.02	28.50	5.86	80.00	161.38
20	उत्तर प्रदेश	75.00	128.06	169.66	111.00	219.00	702.72
21	पश्चिमी बंगाल	17.34	35.22	61.43	31.07	0.00	145.06
	कुल (क)	**527.58**	**581.19**	**823.00**	**477.60**	**551.86**	**2961.23**
उत्तर पूर्वी राज्य							
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.69	5.00	4.09	11.78
2	असम	20.00	32.09	36.54	25.00	27.40	141.03
3	मणिपुर	0.00	8.87	9.66	5.00	0.00	23.53
4	मेघालय	8.63	14.82	22.85	7.71	28.02	82.03
5	मिजोरम	20.00	5.94	5.24	5.00	9.50	45.68
6	नागालैंड	20.00	3.21	3.42	5.00	13.27	44.90
7	सिक्किम	0.00	2.57	2.78	2.95	0.00	8.30
8	त्रिपुरा	0.00	0.00	18.82	7.74	0.00	26.56
	कुल (ख)	**68.63**	**67.50**	**102.00**	**63.40**	**82.28**	**383.81**
संघ राज्यक्षेत्र							
1	अंदमान और निकोबार द्वीप	0.00	1.31	0.17	0.35	0.00	1.83
2	चंडिगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	दादर और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	25.00	0.00	48.52	45.00	30.00	148.52
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	पुडुचेरी	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	3.31
8	जम्मू-कश्मीर	[redacted]	[redacted]	5.00	6.65	20.00	31.65
9	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	25.00	1.31	57.00	52.00	50.00	185.31
	कुल योग (क+ख+ग)	**621.21**	**650.00**	**982.00**	**593.00**	**684.14**	**3530.35**

****